

## कार्यालय-जिला न्यायालय चित्रकूट ।

पत्र संख्या-२०७ /xv/2023

दिनांक- 11.01.2023

### कोटेशन


माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय चित्रकूट के आदेश दिनांकित 10.01.2023 के अनुपालन में जिला न्यायालय के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालय/कार्यालय में उपयोगार्थ एवं न्यायालय/कार्यालय /न्यायालय परिसर में साफ-सफाई हेतु निम्नलिखित विभिन्न सामग्री क्रय किये जाने हेतु कोटेशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	सींक झाड़ू	200 अदद
2.	फूल झाड़ू	100 अदद
3.	फिनायल	50 अदद
4.	फिनायल गोली	05 पैकेट
5.	कोलीन	50 अदद
6.	एसिड	100 बोतल
7.	हार्पिक	100 अदद
8.	ट्वायलेट- ब्रश	50 अदद
9.	पोंछा	50 अदद
10.	बाल्टी	25 अदद
11.	मग	25 अदद
12.	ऑल आउट (मशीन सहित)	100 अदद
13.	रूम स्प्रे	25 अदद
14.	काला हिट	50 अदद
15.	ओडोनिल (Air Freshner- packet) (Godrej)	50 अदद
16.	हैण्डवाश (250ml)	50 अदद
17.	हैण्डवाश Refil	10 अदद

इच्छुक फर्म / संस्था, जरिये ई-मेल / डाक अथवा स्वयं दिनांक- 11 .01.2023 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जरिये डॉक, स्वयं अथवा ई-मेल आई०डी० dcchi@allahabadhighcourt.in द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोटेशन के साथ उक्त सामग्री का नमूना प्रेषित करना अनिवार्य है। कोटेशन में सामग्री का विवरण तथा उत्पादकर्ता का नाम, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन का उल्लेख भी आवश्यक है।

*Rd*  
11-1-23

साथ ही कोटेशन स्वीकार होने पर सम्बन्धित फर्म/संस्था को सम्पूर्ण सामग्री स्वयं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय तक पहुंचाना होगा। आपूर्ति करने वाली संस्था/फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री में यदि कोई खराबी पायी जाती है या आवश्यक गुणवत्ता/मानक अनुरूप नहीं पायी जाती तो उसे सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने खर्च पर ही बदला जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त विवरणांकित वांछित सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय चित्रकूट को किसी भी कोटेशन को बिना आपत्ति के रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोटेशन दिनांक- 17.01.2023 को अपराह्न 04:35 बजे खोले जाएंगे। समय अवधि के बाद आने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
11.1.23  
अध्यक्ष, क्रय समिति,  
जिला न्यायालय चित्रकूट।

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- सदर नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 02- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड-1 कर्वी चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 03- तहसीलदार कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 04- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
- 05- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 06- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय चित्रकूट के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 07- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं अनुरक्षण हेतु।

  
11.1.23  
अध्यक्ष, क्रय समिति,  
जिला न्यायालय चित्रकूट।